By - AKHILESH KUMAR (GT Assist. Professor)
JK College Biraul Darbhanga
YouTube :A commerce Education

Notes BY: AKHILESH KUMAR (Guest Teacher)

DEPARTMENT OF COMMERCE

JANTA KOSHI COLLEGE BIRAUL, DARBHANGA

FOR-LNMU B. COM PART -2 Hons paper -III Business and Regulatory Framework

Unit-4 Indian companies Act, 1956 Lecture -3 Date 16-07-2020

Easy to Understand the concept

By - AKHILESH KUMAR (GT Assist. Professor)
JK College Biraul Darbhanga
YouTube :A commerce Education

प्रश्न - कम्पनी-संगठन के गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। किस प्रकार के व्यवसाय के लिए कम्पनी संगठन उपयुक्त है?
Enumerate the merits and demerits of a company form of organization. For what class of business the company form is ideally suited?

उत्तर- कम्पनी संगठन के गुण या लाभ (Merits or Advantages of Company Organisation)
व्यावसायिक संगठन के अन्य प्रारूपों की तलना में कम्पनी संगठन सबसे अधिक लोकप्रिय है। इसकी लोकप्रियता के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :

1. **विस्तृत वित्तीय साधन- कम्पनी के वित्तीय साधन बहुत अधिक विस्तृत होते हैं। इसके अनेक कारण हैं। यह असंभव लोगों की बचत को उत्पादक कार्यों में, करती है। कम्पनी में दायित्व सीमित आकर्षित होते हैं। कम्पनी ही कारण निम्न आय वाला व्यक्ति भी आसानी से इस में Investments सकता है। इन अंशों को इच्छानुसार बेचा भी जा सकता है।**

2. सीमित दायित्व (Limited Liability)- कम्पनी के सदस्यों का दायित्व सामान्यतः सीमित होता है । कम्पनी के समापन होने

पर अंशधारियों की व्यक्तिगत सम्पत्ति को ऋणों के भुगतान के लिए नहीं लिया जा सकता।

3. स्थायी अस्तित्व - कम्पनी का अस्तित्व अधिक स्थायी होता है, क्योंकि इसका अस्तित्व सदस्यों से पृथक होता है। कम्पनी के जीवन पर अंशधारियों की मृत्यु, दिवालिएपन अथवा पागलपन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

4.जोखिम का विभाजन (Division of Risk) – एकाकी व्यवसाय में जोखिम एक व्यक्ति को तथा साझेदारी में जोखिम , कुछ व्यक्तियों को उठानी पड़ती है। परन्तु कम्पनी में जोखिम अनेक व्यक्तियों में बंट जाती है। इस प्रकार भार व्यक्तिगत रूप से बहुत कम पड़ता है।

5. औद्योगिक अनुसंधान का लाभ - कम्पनी संगठन में विस्तृत आर्थिक साधन होने के कारण विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ उठाकर औद्योगिक अनुसंधान को अधिक संभव बनाया जा सकता है। इससे उत्पादन लागत में कमी और उत्पादन की किस्म में सुधार होता है।

6. विकास एवं विस्तार का आधार क्षेत्र - कम्पनी संगठन की विशेषताओं के फलस्वरूप व्यवसाय का विकास एवं विस्तार किसी भी सीमा तक किया जा सकता है।

7. अंशों की हस्तांतरणीयता - कंपनी के अंशधारियों को अपने द्वारा खरीदे गए अंशों के हस्तांतरण एवं क्रय-विक्रय की पूर्ण

स्वतंत्रता रहती है। अंशों की हस्तांतरणीयता विनियोग को तरलता प्रदान करती है तथा विनियोक्ता के लिए अत्यधिक लाभप्रद एवं उपयोगी होती है।

8. जनतांत्रिक संगठन- कम्पनी का आधार प्रजातांत्रिक होता है। कम्पनी का प्रबंध अंशधारियों द्वारा चुने गए संचालकों द्वारा किया जाता है। विधान के अन्तर्गत अंशधारियों को संचालकों की नियुक्ति, उनके निष्कासन के संबंध में पूरे-पूरे अधिकार होते।

9. जनता का विश्वास- व्यावसायिक संगठन के अन्य स्वरूपों की अपेक्षा संगठन के इस रूप में जनता का अत्यधिक विश्वास रहता है। कम्पनी के खाते तथा वार्षिक विवरण प्रकाशित होते रहते हैं, जिससे जनता का विश्वास बढ़ता रहता है।

10. पूंजी एवं प्रबन्ध क्षमता का संगम- अंशधारी पूँजी का विनियोजन करते हैं, जबकि प्रबन्धक एवं संचालक गण अपनी व्यावसायिक योग्यता प्रदान करते हैं। इन दोनों के सहयोग से है। कम्पनी का कार्य सुचारु रूप से चलता है।

11.बड़े पैमाने के उत्पादन के लाम- कम्पनी में उत्पादन प्रायः बड़े पैमाने पर किया जाता है। अतः बड़े पैमाने पर उत्पादन । के लाभ कम्पनी को स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इससे प्रति इकाई उत्पादन लागत कम हो जाती है और उपभोक्ता को सस्ती दर पर। अच्छी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं।

By - AKHILESH KUMAR (GT Assist. Professor)
JK College Biraul Darbhanga
YouTube :A commerce Education

कम्पनी के दोष अथवा सीमाएँ (Demerits or Limitation of a Company) :

1. स्थापना में कठिनाई- एकाकी व्यापार एवं साझेदारी की भाँति कम्पनी की स्थापना सरल नहीं है। इसकी स्थापना में। अनेक वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है। इसकी स्थापना में प्रारम्भिक व्यय भी अधिक होते हैं। इसकी स्थापना में। विशेषज्ञों की सहायता लेनी पड़ती है।

2. प्रवर्तकों द्वारा छल- कपट - कम्पनी के प्रवर्तक इसकी स्थापना में छल-कपट का सहारा लेते हैं। प्रवर्तक जनता के सामने प्रविवरण के माध्यम से आकर्षक प्रस्ताव रखकर उन्हें धोखा देते। हैं। बढ़ा-चढ़ाकर कम्पनी के उज्ज्वल भविष्य का प्रचार करके पूंजी प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार के छल-कपट कम्पनी एवं अंशधारियों के व्यापक हितों की अवहेलना करते हैं।

3.सीमित क्षेत्र- वैधानिक व्यक्ति होने के कारण कम्पनी अपने पार्षद सीमा नियम का उल्लंघन नहीं कर सकती। इसके विपरीत, एकाकी या साझेदारी के व्यवसाय में इच्छानुसार कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

4. संचालन सत्ता का केन्द्रीयकरण- कम्पनी सत्ता एवं धन कुछ ही हाथों में केन्द्रित करने में सहायक होती है। यद्यपि देखने में कम्पनी का संचालन एवं प्रबंध जनतांत्रिक लगता है, परन्तु वास्तव में कंपनी का प्रबंध कुछ गिने-चुने हाथों में ही केन्द्रित होता है। ये लोग अपनी-अपनी सुसंगठित स्थिति, सत्ता-सम्पन्नता, सभा में उपस्थित लोगों को प्रभावित करने की निपुणता के कारण विरोधी अंशधारियों को प्रभावहीन बना देते हैं।

5. कम्पनी का शोषण- जब कभी कंपनी की सत्ता कुछ चुने हुए व्यक्तियों के हाथों में चली जाती है, तो वे इस सत्ता का दुरुपयोग अपनी स्वार्थ पूर्ति में करने लगते हैं। वे अपने लिए अधिक वेतन, कमीशन एवं पारितोषिक निश्चित करके कम्पनी का शोषण करते हैं।

6. बड़े आकार के व्यवसाय की बुराइयाँ (Evils of | Large Scale Business)- कम्पनी संगठन में बड़े आकार के दोष 5 पाए जाते हैं। व्यावसायिक जगत में आने वाले परिवर्तन, जैसे- रुचि परिवर्तन, फैशन में परिवर्तन, उत्पादन प्रणालियों में परिवर्तन, नवीन आविष्कार, सरकारी नीति में परिवर्तन आदि

इस पर बड़ा बुरा प्रभाव डालते हैं, जिनके फलस्वरूप अनेक प्रबंधकीय समस्याएँ। उत्पन्न हो जाती हैं।

7. अनेक हितों का टकराव- कम्पनी में अनेक हितों का आपस में संघर्ष होता है। उदाहरण के लिए, पूर्वाधिकार अंशधारी चाहते हैं कि कम्पनी अपना समस्त लाभ लाभांश के रूप में वितरित कर दे।

8. निर्णय लेने में देरी- एकल स्वामित्व या साझेदारी की दशा में तत्काल निर्णय लिए जा सकते हैं, किन्तु कम्पनी संगठन में निर्णय लेने में समय लगता है, क्योंकि अनेक बार इस हेतु सामान्य सभाओं की व्यवस्था करनी पड़ती है।

9. सट्टेबाजी को प्रोत्साहन- कम्पनी के अंश सरलता से हस्तान्तरित किए जा सकते हैं। इसलिए इनके सम्बन्ध में सट्टेबाजी को प्रोत्साहन मिलता है। बहुधा प्रबन्धक अपने लाभ के लिए शेयर बाजारों में अंशों के मूल्य में उतार-चढ़ाव करके अपनी स्थिति का अनुचित लाभ उठाते हैं, जिससे सामान्य अंशधारियों को भारी हानि उठानी पड़ती है।

10. गोपनीयता का अभाव- एकाकी व्यवसाय एवं साझेदारी की तरह संगठन में गोपनीयता का पूर्णतः अभाव रहता है। कम्पनी

अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक कम्पनी अपने वार्षिक लेखों का प्रकाशन करती है एवं अपने महत्त्वपूर्ण प्रलेखों की प्रतियाँ रजिस्ट्रार के यहाँ फाइल कराती है, जिनका अवलोकन कोई भी व्यक्ति निर्धारित फीस देकर कर सकता है।

11. कानूनों का अत्यधिक- हस्तक्षेप कम्पनियों को विविध प्रकार के नियमों एवं कानूनों का पालन करना पड़ता है। तथा जरा-सी भी भूल होने पर भारी दण्ड भुगतना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में प्रबन्धकों का अधिक समय इस बात में लग जाता है कि कानून की पकड़ से किस प्रकार बचा जाएँ।